कार्यालय प्राचार्य

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

Ph-07749-223112 Email ID- itibld@rediffmail.com

क्रमांक-औप्रस./बा./स्था/मेह.प्रव/2024/ 1007 / बालोद, दिनांक 25-11-2024

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन०आई०सी)
बालोद (छ.ग.)

विषयः- **मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लक्चरर) आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन अपलोड करने बाबत् ।**

संदर्भः- **संचालनालय पत्र क्रमांक एफ 1.326/सरोंप्र/स्थाप-प्र/व्य/2019/1438** अटल नगर रायपुर दिनांक 12.03.2019

—00—

उपरोक्त विषयातंर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में दिये गए निर्देशानुसार बालोद जिले में संचालित विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्य सूचारू रूप से संपादित करने हेतु, विभिन्न व्यवसायों/विषयों में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति आयुक्त जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित किया जावेगा (छायाप्रति संलग्न है) । अतः मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन का विवरण व आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें, ताकि इच्छुक अभ्यर्थियों को जानकारी सुलभ हो सकें । विज्ञापन का विवरण व आवेदन पत्र का प्रारूप की हार्ड एवं साफ्ट कॉपी संलग्न है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

नोडल प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

क्रमांक-औप्रस./बा./स्था/मेह.प्रव/2024/ / बालोद, दिनांक.............

प्रतिलिपिः-

1- **संचालक** , संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ ।
2- **संयुक्त संचालक (प्रशि),** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ ।
3- **कलेक्टर महोदय,** जिला बालोद छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ ।

नोडल प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

Ph-07749-223112 Email ID- itibld@rediffmail.com

क्रमांक-औप्रस./बा./स्था./ मेह.प्रव.भर्ती /2024/ 1012 /बालोद, दिनांक 25-11-2024

/ /विज्ञापन/ /

संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग क्षेत्र दुर्ग के आदेश के अनुसरण में जिला बालोद की नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद के नोडल क्षेत्र अंतर्गत जिला बालोद में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के विरूद्ध विभिन्न व्यवसायों/विषयों के प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024-2025 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) आमंत्रित करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.12.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक है। आवेदकों द्वारा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा किये आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त/जमा आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। संस्थावार/व्यवसायवार/विषयवार रिक्त पदों की जानकारी, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार हैं-

1. <u>रिक्त पदों की जानकारी:-</u>

सरल क्रमांक	व्यसाय/विषय का नाम	औप्रसं बालोद	औप्रसं. संजारी	औप्रसं. सुरेगांव	औप्रसं डौण्डीलोहारा	औप्रसं गुण्डरदेही	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्टेनो हिन्दी	1	—	—	—	—	01
2	विद्युतकार	—	1	1	—	—	02
3	मशीनिष्ट	—	—	—	1	—	01
4	ड्राईवर कम मैकेनिक	—	—	—	1	—	01
5	मैकेनिक डीजल	—	—	—	1	—	01
6	इजी. ड्राईंग/डब्लू.सी.एस	—	—	—	—	1	01

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्रमांक	व्यसाय/विषय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं (वर्तमान प्रचलित सेवा भर्ती नियम के अनुसार)
1	स्टेनो हिन्दी	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण । अथवा पुरानी पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी) (3) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा डाटा एण्ट्री की 10,000 **(KEY)** डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)
2	विद्युतकार	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसक समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण ।
3	ड्राईवर कम मैकेनिक	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसक समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण । (3) हल्के मोटर यान (एलएमव्ही) का वैध लायसेंस होना अनिवार्य है ।
4	मैकेनिक डीजल	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसक समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण ।

		(3) हल्के मोटर यान (एलएमव्ही) का वैध लायसेंस होना अनिवार्य है ।
5	वर्कशाप कैल्कुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राईग	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसक समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण ।
6	मशीनिष्ट	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्वति से ग्यारहवीं या उसक समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैन्यूफक्चरिंग इंजिनियंरिग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण ।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :–

01. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सी.टी.आई/ए.टी.आई आवश्यक है, उन पदों के लिये एव वर्षीय सी.टी.आई/ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी पात्र अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा।

02. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही, उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।

03. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.व्ही.) का वैध लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

04. व्यवसाय स्टेनोंग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट(हिन्दी) में प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संचालक स्त्र पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकेगा।

05. इसी प्रकार एम्प्लायबिलिटी स्किल विषय हेतु प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के आवेदक उपलब्ध न होने पर बीएड के मामले में संयुक्त संचालक स्तर पर निर्णय लेकर निर्धारित योग्यता को शिथिल किया जा सकेगा।

06. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरान्त यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होत है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01

को अवसर दिया जावेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।

4. नियम एवं शर्तें:-

01. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बालोद जिला बालोद से प्राप्त किया जा सकता है। एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुवाच्य रूप से बिना कांट-छांट के पूर्ण आवेदन भरकर प्राचार्य/नोडल अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, (पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, पिन कोड सहित) में जमा/प्रेषित किया जान है। आवेदक द्वार लिफाफे के ऊपर आवेदित व्यवसाय/विषय एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) लिखना अनिवार्य है।

02. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली-भांति पढ़कर आवेदन पूर्ण रूप से भरकर प्रेषित/जमा करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।

03. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्राधिकृत अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

04. संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर मेरिट/चयन/प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जायेगी। अनुभव आवश्यक नहीं है।

05. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जायेगी। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।

06. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

07. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।

08. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर कार्यालयीन समय में संस्था में उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित आवेदनों के नियत तिथि एंव समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वे स्वमेव ही निरस्त हो जायेगें।

09. आवेदक एक से अधिक पदों/संस्थाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।

10. आवेदित पद हेतु अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है।(संबंधित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य है)।

11. व्यवसाय स्टेनोंग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट(हिन्दी) एवं स्टेनोंग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट(अंग्रजी) हेतु प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रतिमिनट योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार एम्लायबिलिटी स्किल विषय हेतु

प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के आवेदक उपलब्ध न होने पर बी.एड. आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्तर पर निर्णय लेकर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगें।

12. चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय/विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जायेगा। चयन सूची नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।

13. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचियों का अनुमोदन पश्चात् ही नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। उन्हें किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी/प्रदान नहीं किया जावेगा।

14. शासन द्वारा नियमित/स्थनांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी।

15. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 140 रूपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे, के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम रू. 15000.00 (पंद्रह हजार) रूपये मानदेय देय होगा। जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।

16. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा।

17. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुये स्पष्ट कारण दर्शाते हुये उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।

18. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।

19. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एंव बंधनकारी होगा।

(नोडल अधिकारी/प्राचार्य)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)